

प्रेषक,
सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ दिनांक 26 अगस्त, 2016

विषय- उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (प्रक्रिया का विनियमन एवं इसके कृत्यों का निष्पादन) नियमावली 2016 का प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 की धारा-63 के अधीन उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (प्रक्रिया का विनियमन एवं इसके कृत्यों का निष्पादन) नियमावली 2016 अधिसूचना संख्या-983/नौ-9-16-80ज/11 दिनांक 17.08.16 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली की एक प्रति अनुपालनार्थ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,



(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को नियमावली के प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उ०प्र०।
- 5- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कृपया संलग्न अधिसूचना संख्या-983/नौ-9-16-80ज/11 दिनांक 17.08.16 की हिन्दी एवं अंग्रेजी को सरकारी गजट उ०प्र० असाधारण, विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड ख में दिनांक 17.08.16 की तिथि में प्रथमिकता के आधार पर प्रकाशित करा कर उसकी 250 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- वेब मास्टर को वेब साइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।